तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा कनक बनाम ओमप्रकाश , मुकदमां नम्बर :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी

श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

श्री राघव शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री ओमप्रकाश स्वयं अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 16/07/2025

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राघव शर्मा ने पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम गांगवा में खसरा नम्बर 315 रकबा 0.9900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 3.3100 हैक्टेयर, खसर नम्बर 317 रकबा 1.7800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 331 रकबा 1.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115/2 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117/1 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/1 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 903/3 रकबा 0.3500 हैक्टेयर कृशि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट व आर्डर 039 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जिस पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पूर्व में वकील देवेन्द्र मालाकार ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया गया तथा पत्रावली की तारीख पेशी आगे होने से बीच में नजदीकी सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा उसके पश्चात तारीख पेशी आगे होने से पुनः नजदीक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली सुनवाई हेतु ली गई जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र पेश कर मूल प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध किसी तरह का अनुतोष नहीं चाहने व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम प्रार्थना–पत्र से हटाये जाने का निवेदन किया प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षो को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया हस्तगत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तीन बिन्दुओ पर समाधान किया जाना आवश्यक हैः–

1. प्रथम दृश्टया मामला 2. सुविधा का सन्तुलन एवं
3. अपूर्णीय क्षति

उक्त बिन्दुओ पर न्यायालय का विचेन निम्नानुसार है :–

1. प्रथम दृश्टया मामला

इस बिन्दु पर प्रार्थीगण के पक्ष में होने का तर्क प्रस्तुत करते हुये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो की पुनरावृत्ति करते हुये

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

यह तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं जो उपरोक्त वर्णित आराजियात ग्राम गांगवा के खसरा नम्बर 315 रकबा 0.9900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 3.3100 हैक्टेयर, खसर नम्बर 317 रकबा 1.7800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 331 रकबा 1.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115/2 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117/1 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/1 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 903/3 रकबा 0.3500 हैक्टेयर से सम्बन्धित है तथा प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र व पुत्री है तथा उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को उसके पिता से विरासत में प्राप्त हुई है जो की प्रार्थीगण के दादा थे तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत दादा की सम्पति में पोता–पोती का जन्म से ही हक अधिकार निहित रहता हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण का हक हिस्सा सुरक्षित किये बगैर ही बेचान करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को उनके जन्म से निहित हक हिस्से से वंचित करने के उद्वेष्य से बेदखल करने व बेचान करने की अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लगातार धमकीया दी जा रही हैं इस कारण मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त तर्को के विरोध स्वरूप अप्रार्थी स्वयं ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा बिना अप्रार्थी को जानकारी करवाये एवम् बिना किसी कारण के वाद एवम् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त कृशि भूमि का बेचान नही किया जा रहा है तथा अपने भाईयो से रास्ते का विवाद है जिसका निस्तारण करवाना चाहता है तथा न्यायालय के स्थगन आदेष होने के कारण उक्त कृशि भूमि में काष्त नही कर पा रहा है तथा अपनी कृशि भूमि को उपजाउ नही बना पा रहा है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षो को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त कृशि भूमि प्रार्थीगण के दादा की सम्पति रही है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार निहित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का पिता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि का बेचान करने की परिस्थिति में प्रार्थीगण अपने हक अधिकार से वंचित हो जायेगे तथा मूल वाद में यह निर्धारित किया जाना है कि प्रार्थीगण को अपने दादा की सम्पति में हक हिस्सा कितना मिलना है इस कारण मूल वाद के निस्तारण तक विवादित विषयवस्तु को संरक्षित किये जाने के उद्वेश्य से प्रथम दृश्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में विनिष्चित किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति

चूंकि प्रथम दृश्टया मामला प्रर्थीगण के पक्ष में बनना पाया गया है ऐसी स्थिति में उक्त दोनो बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने की संभावना से इंकार नही किए जा सकते हैं यहां यह उल्लेख किया जाना भी आवष्यक है कि घोशणा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

से सम्बन्धित वाद न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाना है कि प्रार्थीगण का हक हिस्सा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित है या नही हैं। मूल वाद के निस्तारण तक विवादित कृषि भूमि की यथास्थिति बनाए रखने से किसी भी पक्षकार के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कारित होना प्रकट नही होता हैं अतः उक्त विवेचित तथ्यो के आधार पर सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में विनिष्चित किये जाते है।

चूंकि प्रथम दृश्टया मामला , सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में तय किये गये हैं, ऐसे में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निम्नानुसार आदेशित किया जाता है:-

आदेश

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 039 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी अप्रार्थी संख्या–1 की हद तक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक वाके ग्राम गांगवा के खसरा नम्बर 315 रकबा 0.9900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 3.3100 हैक्टेयर, खसर नम्बर 317 रकबा 1.7800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 331 रकबा 1.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 349 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115/2 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117/1 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118/1 रकबा 1.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 903/3 रकबा 0.3500 हैक्टेयर भूमि में कब्जे काश्त में किसी प्रकार से रोक टोक बाधा उत्पन्न नही करेगे ना ही किसी अन्य को रहन गिरवी बेचान हस्तान्तरण नही करेगे तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखेगे । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार डाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर